

**सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समूह – 01 के अंतर्गत लेखापाल,
उप-अंकेक्षक, कनिष्ठ अंकेक्षक, म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों की भर्ती परीक्षा–2015**

i jh{kk I pkyu , oa HkrhL fu; e i fLrdk

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08.02.2015	
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	27.02.2015	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	28.02.2015	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	02.03.2015	
परीक्षा दिनांक व दिन	05.04.2015 (रविवार)	
परीक्षा शुल्क	सीधी भर्ती के पदों हेतु अनारक्षित के लिए	₹. 700/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन के लिए (म0प्र0 के मूल निवासियों के लिये)	₹. 350/-
	सीधी भर्ती–बैकलॉग	कोई शुल्क नहीं
	बैगा, सहारिया एवं भारिया विशेष अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क ₹. 70/- देय होगा।		

I e; I kj .kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट सवितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
05-04-2015 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)
05-04-2015 (रविवार)	दोपहर 02:00 बजे से	दोपहर 02:00 बजे से	दोपहर 02:00 से 02:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:10 बजे	दोपहर 02:10 से 02:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 02:15 से 04:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्याइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्वायरिंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नहीं लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर **राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा**, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये हॉर्डकॉर्पी में आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप (नियम पुस्तिका के प्रारूप-3) में विभिन्न विभागों के पृथक – पृथक पदों हेतु पृथक – पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा।



e/; i n\\$ k 0; kol kf; d i j h{kk e. My] Hkksj ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समूह – 01 के अंतर्गत लेखापाल,
उप–अंकेक्षक, कनिष्ठ अंकेक्षक, म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों की भर्ती परीक्षा–2015

fo"k; & I ph

I - Øa	fooj . k	i "B Ø-
1.	v/; k; &1 & सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली	03–12
2.	v/; k; &2 – विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	13–18
3.	v/; k; &3 – व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	19–35
4	v/; k; &4& परीक्षा का पाठ्यक्रम	36
5.	i k: i &1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	37
6.	i k: ik&2 & आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	38
7.	i k: ik&3 & बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	39–40

v/; k; & 01
I kekJ; c'kkI u foHkkx
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

fu; e

1- I f{klr uke rFkk ckjkk &

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- i fjHkk"kk, ॥ & इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (झ) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;

- (ट) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
- 3- foHkkxH; Hkj rh fu; ek dks ek; rk cnku fd; k tkuk & वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
- 4- vgldkjI vD & (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।
(2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि –
(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;
(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो;
और
(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।
- 5- foLrkj &
(1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें नियम 6 में यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।

(2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

- 6- I ḍk | eŋ & विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् –

rkfydk

I 0 00	I ḍk eŋ	i n dk ḫx@i nuke	Jś kh
1.	समूह एक	लेखापाल, उप-अंकेक्षक, कनिष्ठ अंकेक्षक, म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग, लेखापाल सहलिपिक	तृतीय श्रेणी

- 7- i j h{kk dk vk; kṣt u & ऊपर नियम 6 में उल्लिखित सेवा समूह – 1 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।
संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् –

rkfydk

I - Ø-	I eŋ	ç' u i = dh dʒ l a[; k	dʒ vəd	ç' u i = dk fooj .k
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	समूह –एक	02	200	(क) सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान – – 100 अंक (ख) संबंधित वाणिज्य विषय – 100 अंक

- 8- i k=rk dħ 'krħi ; Fkk 'kṣkf.kd@rdħuħħ@0; kɔl kf; d vɣṛlk, a %&

(1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित 'kṣkf.kd vɣṛlk अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

I eŋ & , d

vħ; Fkhħ us foħħkxks l s | cf/kr ħkrħ fu; eka ds v/khu okfNr okf.kT; fo"k; eħ Lukrd mi kf/k ds | kf k mRrh.kl dħ għA

(2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

13½ **vk; q | hel &** उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु—सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु—सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के pkyw o"kl dh 1 tuojh की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9. **vH; ffk; k }kj k vkonu çLrfr fd; k tkuk &**

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।
- (4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक—पृथक उपस्थिति होना होगा।

10- e. My }kj k i j h{kk i f j . kkeka dh ?kkshk. kk vkg | Qy vH; ffk; ka dh | ph tkjh djuk

- (1) मण्डल, परीक्षा के चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 6 में तथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।
- (2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अहं पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक—पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (7) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

11- fu; fDr ds fy, e. My dh vuqkd k, &

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिकितयों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

(4) यदि किसी विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित अवधि तक रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई हो तो संबंधित समूहों के अंतर्गत ऐसी उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों की जानकारी जो वर्ष के दौरान वास्तविक रिक्तियों में परिवर्तित होंगी, विभागों द्वारा मण्डल को किसी भी स्थिति में परीक्षा वर्ष के 15 जुलाई तक उपलब्ध करानी होगी। शेष अभ्यर्थियों से जिनके नाम अर्हता सूची में आए हैं, उनके विभागों की प्राथमिकता पूछी जाएगी जिससे मण्डल द्वारा उनके नामों को योग्यता सूची के आधार पर क्रमानुसार संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जा सके। मण्डल, विभागों को परीक्षा वर्ष के 15 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश देगा। अभ्यर्थी उनके आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक उनके चाहे गए आवंटित विभाग में अपना पदभार ग्रहण करने के दायित्वाधीन होंगे। यदि अभ्यर्थी ऐसा नहीं करना है तो संबंधित परीक्षा में उसका चयन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

12- | Qy vH; fFk; k; dh vfre | ph dh fof/kekH; rk dh vof/k &

- (1) किसी भरती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से 18 मास के लिए विधिमान्य होगी किन्तु आगामी वर्ष की परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् अविधिमान्य हो जाएगी।
- (2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा

परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।

13- çek.k i=k; dk | R; ki u rFkk fu; fDr dh cfØ; k &

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

14- vkj {k. k &

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा –

अनुसूचित जनजाति	–	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	–	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	–	14 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

12½ {कृत व्यक्ति &

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
- (ख) निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 6 प्रतिशत दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 2-2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।
- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रस्तुति में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

15- व्यावसायिक परीक्षा 'क्लास &

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

16- ; कैक्सिक वर्गों के शारीरिक

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी अपने निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र चुनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

17- ज्ञानीकरण विभाग &

इन नियमों के जारी किए जाने की तारीख से सरकार के समस्त पदों की भरती जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते हैं, इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मण्डल द्वारा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाएँ मण्डल के परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु किए गए अनुरोध को स्वीकार कर सकेंगी। यदि ऐसे केन्द्र पर संघ लोक सेवा आयोग, मण्डल की परीक्षाओं की तारीख पर अपनी परीक्षाएँ करवा रहा हो तो मण्डल का ऐसा प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। “इसके अतिरिक्त उक्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ मण्डल की परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु भी ली जा सकेंगी। अतः उपरोक्त कर्मचारीवृन्द की सेवाएँ अत्यावश्यक सेवाएँ होंगी।”

18- फैज़िलक &

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई

विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय—समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

19- vH; FkhZ dhl ekufI d vkj 'kkj hfj d fLFkfr &

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

20- vkonuk; dk jnñ fd; k tkuk &

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

21- vH; FkhZ }kj k vkj {k.k dk nkok &

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्यिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित

करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

22- vH; fFkrlk jnñ dñus ds fy, vklkkj &

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने –

- (क) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों;
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधान के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किय हो;
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में इस प्रकार दुर्घटनाकारी किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

23- fu%kDr tukl ds fy; s vkj f{kr i nkldh i frl &

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 के अनुसार निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02-02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थिबाधित/ श्रवणबाधित/ दृष्टिबाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

अध्याय — 02

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समूह — 01 के अंतर्गत लेखापाल,
उप—अंकेक्षक, कनिष्ठ अंकेक्षक, म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों की भर्ती परीक्षा—2015

एकजाई पदवार विवरण

भर्ती का प्रकार	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद	अना.	अजा.	अजजा	अपि	कुल
सीधी भर्ती	1. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.)	लेखापाल	04	03	02	-	09
	2. कार्यालय संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग—(तृतीय श्रेणी—अलिपिक वर्गीय)	107	29	36	29	201
	3. कार्यालय मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)	लेखापाल	07	03	03	02	15
सीधी भर्ती बैकलॉग	4. सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	उप अंकेक्षक	-	11	18	-	29
	5. म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)	कनिष्ठ अंकेक्षक	-	04	07	01	12
		लेखापाल तृतीय	-	10	12	05	27
संविदा	6. म.प्र. जन अभियान परिषद्, भोपाल (म.प्र.)	लेखापाल—संभाग स्तरीय	02	-	-	-	02
		लेखापाल—राज्य स्तरीय	-	-	01	-	01
		लेखापाल सह लिपिक	02	03	09	01	15
	7. राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल (म.प्र.)	लेखापाल	1104	353	442	309	2208
योग:—			1226	416	530	347	2519

स.क्र.	पद	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती बैकलॉग	संविदा	कुल
01	लेखापाल	24	27	2226	2277
02.	म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग—(तृतीय श्रेणी—अलिपिक वर्गीय)	201	—	—	201
03.	उप अंकेक्षक	—	29	—	29
04.	कनिष्ठ अंकेक्षक	—	12	—	12
	योग	225	68	2226	2519

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समूह – 01 के अंतर्गत लेखापाल,
उप—अंकेक्षक, कनिष्ठ अंकेक्षक, म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों की भर्ती परीक्षा—2015

1. dk; kly; e/; çns k LVW fl foy | lykblt dkj i kjs ku fyfeVM] Hkksj ky %e-ç-%

dk; kly; e/; çns k LVW fl foy | lykblt dkj i kjs ku fyfeVM] Hkksj ky %e-ç-% से प्राप्त पत्र
क्रमांक स्था./2014/3166, भोपाल, दिनांक 09/09/2014 एवं 3615, भोपाल, दिनांक 22.11.14 एवं पत्र क्रमांक/स्था.
/2014/3722 भोपाल दिनांक 15.12.2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{k.k rkfydk

V- | h/kh Hkrh% yskki ky% & dly 09 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	01	—	04	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	—	—	02	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	05	03	01	—	09	

orueku & PB-1 (5200-20200+2800 ग्रेड पे

'kxkf.kd ; kx; rk & okf.kT; | dk; e/ 50 çfr'kr vdko | s Lukrd , oadEl; Mj e/ , do"kh% fMlykek i ek.k i = A

2. dk; kly; | pkyuky; dk;k , oayskk e/; çns k] Hkksj ky %e-ç-%

dk; kly; | pkyuky; dk;k , oayskk e/; çns k] Hkksj ky %e-ç-% से प्राप्त पत्र क्रमांक
/एसएएस/सी.भ./2014/283 भोपाल, दिनांक 24/09/2014 एवं 21/11/2014 एवं पत्र क्रमांक/स्था./SAS/सी.
भ./2014/35 भोपाल, दिनांक 27/01/2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj{k.k rkfydk

| h/kh Hkrh% %e-ç- v/khuLFk yskk | ok | ox&%r%; Jskh&vfyfi d oxh% & dly 201 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	76	31	—	—	107	निशक्तजनों की dly 04 fjfDr; kse/ s 02 in Jo.kckf/kr , oas 02 in vLFkckf/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिन वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	20	09	—	—	29	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	25	11	—	—	36	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	20	09	—	—	29	
	; kx	141	60	—	—	201	

orueku & 9300&34800 \$ 3600 XM is

'kxkf.kd ; kx; rk & किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मे स्नातक या उसके समकक्ष उत्तीर्ण

अथवा

उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण तथा चार्टर्ड एकाउटेंटी (इन्टर) / आई.सी.डब्लू.ए.(इन्टर) / कम्पनी सोफ्टवेरी (इन्टर) की परीक्षा उत्तीर्ण

3. dk; kly; eRL; egkl ॥९॥ gdkjh॥ e; kr] Hkki ky ॥e-ç-॥

dk; kly; eRL; egkl ॥९॥ gdkjh॥ e; kr] Hkki ky ॥e-ç-॥ से प्राप्त पत्र क्रमांक 2761/स्था.

/2014–15 भोपाल, दिनांक 28/11/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkJ{k.k rkfydk

I h/kh Hkrh॥y[kki ky॥ & dly 15 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	—	—	07	निशक्तजनों की dly 01 fffDr e॥ l s 01 i n vLFkckf/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	—	—	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	—	—	—	02	
	; kx	11	04	—	—	15	

orueku & 5200 & 20200 \$ XM is 2400

' ksf.kd ; kx; rk&ch-dk॥ f}rh; Js kh mUkh. kJ dEl; Wj fMlykek , oa dEl; Wj Vsyh cf' kf{kr rFkk 0; kol kf; d ykJkk dk; l dk vu||ko j [kus okys 0; fDr; k dks ckFkfedrk nh tk; xhA

4. dk; kly; vk; Pr] I gdkfjrk ,oa iath; d I gdkjh I LFkk,॥ e; cns k] Hkki ky ॥e-ç-॥

dk; kly; vk; Pr] I gdkfjrk ,oa iath; d I gdkjh I LFkk,॥ e; cns k] Hkki ky ॥e-ç-॥ से

प्राप्त पत्र क्रमांक/स्थापना/12/2014/2393 भोपाल दिनांक 08/09/2014 एवं क्र./स्थापना/04/2014/3110 भोपाल दिनांक 05/12/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkJ{k.k rkfydk

V- I h/kh Hkrh॥cdykJ ॥mi vdskd॥ & dly 29 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निशक्तजनों की dly 02 fffDr; kx e॥ l s 01 i n vLFkckf/kr] 01 i n Jo.k ckf/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	04	01	—	11	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	10	06	02	—	18	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	16	10	03	—	29	

orueku & 5200&20200 \$ 2400 XM is

' ksf.kd ; kx; rk & बी.कॉम उत्तीर्ण

5. dk; kly; e/; çn'k jkt; Ñf"k foi .ku ckM] Hkki ky ½e-ç-½

dk; kly; e/; çn'k jkt; Ñf"k foi .ku ckM] Hkki ky ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक/बोर्ड कार्मिक /बैकलॉग/सीधी भर्ती/2013/76/126, भोपाल, दिनांक 02.07.2013 एवं 135 भोपाल, दिनांक 29.10.14 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj {k.k rkfydk

v- I h/kh Hkrh cdykk ½dfu"B vdkd & dly 12 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	01	—	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	01	01	—	07	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	—	—	01	
	; kx	08	02	02	&	12	

orueku & 5200&20200\$2400 xM is

'kQkf.kd ; kx; rk & 'kkl u }kjk ekU; rk çkIr I LFkk I s okf.kT; Lukrd

c- I h/kh Hkrh cdykk ½ys[kki ky rrh; & dly 27 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	06	02	01	01	10	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	03	02	01	12	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	01	—	05	
	; kx	15	06	04	02	27	

orueku & 5200&20200\$2100 xM is

'kQkf.kd ; kx; rk & 'kkl u }kjk ekU; rk çkIr I LFkk I s okf.kT; Lukrd

6. dk; kly; e/; çns'k tu vflk; ku i f} "kn} Hkkj ky ½e-ç-½

dk; kly; e/; çns'k tu vflk; ku i f} "kn} Hkkj ky ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक /1297/ ज.अ.प/स्था. /2014, भोपाल, दिनांक 11.09.2014 एवं पत्र क्रमांक 96, दिनांक 20.01.2015 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj {k.k rkfydk

v- I fonk Hkrh½ys[kki ky& I kkx Lrjh; ½ & dly 02 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	—	—	—	02	निश्चक्तजनों की dly 01 f} fDr e s l s 01 in vflFkckf/kr निश्चक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	—	—	—	—	—	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	02	&	&	&	02	

orueku & 13519@&

'k{kf.kd ; kx; rk & ekU; rk ckIr fo' ofo | ky; I s f}rh; Js kh es okf.kT; Lukrd ,oa i kp o"kl dk ys[kkdu dk vuukko ; k f}rh; Js kh es okf.kT; LukrdkjkA okNuh; vuukko & fdI h 'kkl dh; @v) l 'kkl dh; @v'kkl dh; I Fkk es rhu o"kl dk ys[kkdu dk vuukko A Mh-I h , - vfuok; l A e/; çns'k 'kkl u }kj k ys[kk i jh{kk mUkh.kl o Vsyh es Kku j [kus okys dks ckFkfedrkA

c- I fonk Hkrh½ys[kki ky& jkt; Lrjh; ½ & dly 01 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	—	—	—	—	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	—	—	—	—	—	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	—	—	—	01	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	—	—	—	—	
	; kx	01	&	&	&	01	

orueku & 13519@&

'k{kf.kd ; kx; rk & ekU; rk ckIr fo' ofo | ky; I s f}rh; Js kh es okf.kT; Lukrd ,oa i kp o"kl dk ys[kkdu dk vuukko ; k f}rh; Js kh es okf.kT; LukrdkjkA okNuh; vuukko & fdI h 'kkl dh; @v) l 'kkl dh; @v'kkl dh; I Fkk es rhu o"kl dk ys[kkdu dk vuukko A Mh-I h , - vfuok; l A e/; çns'k 'kkl u }kj k ys[kk i jh{kk mUkh.kl o Vsyh es Kku j [kus okys dks ckFkfedrkA

I - I fonk Hkrh½ys[kki ky I g fyfi d rrh; Js kh½ & dly 15 in

संक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	—	—	02	निश्चक्तजनों की dly 02 f} fDr; k s es l s 02 in vflFkckf/kr निश्चक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	02	01	—	—	03	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	06	03	—	—	09	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	—	01	—	—	01	
	; kx	09	06	—	—	15	

orueku & 13519@&

'k{kf.kd ; kx; rk & ekU; rk ckIr fo-fo- I s f}rh; Js kh es okf.kT; Lukrd@LukrdkjkA Mh-I h , - vfuok; A okf.kT; Lukrd@Lukrdkjk o e-ç- 'kkl u }kj k ys[kk i jh{kk mUkh.kl o Vsyh es Kku j [kus okys dks ckFkfedrkA okNuh; vuukko & fdI h 'kkl dh; @v) l 'kkl dh; @v'kkl dh; I Fkk es 3 o"kl dk ys[kkdu dk vuukko o 2 o"kl dk fyfi dh; dk; l dk vuukkoA

7. dk; kly; jkT; f' k{kk dññ] Hkkj ky ½e-ç-½

dk; kly; jkT; f' k{kk dññ] Hkkj ky ½e-ç-½ से प्राप्त पत्र क्रमांक/राशि के/नियु./2014/7657,

भोपाल, दिनांक 18/09/2014 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है –

vkj {k.k rkfydk

I fonk Hkrh½ys[kki ky½ & dy 2208 in

संक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	773	331	0	0	1104	निशक्तजनों की dy 130 fjjDr; ka ei s 42 in nf'Vckf/kr] 44 in Jo.kckf/kr , o 44 in vflFkckf/kr निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	247	106	0	0	353	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	309	133	0	0	442	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	216	93	0	0	309	
	; kx	1545	663	0	0	2208	

orueku & 15]547@& : i ; s çfrekg ekfI d

' kskf.kd ; kx; rk & 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की उपाधि

2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण का

vkok

डी.ई.ओ., ए.सी.ए. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण

vkok

शा. पॉलिटेक्निक कॉलेज से मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स संबंधी प्रमाण पत्र

अध्याय – 3

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

[क. M&V]

- 3-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) अन्यथीं अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक विभाग/कार्यालय के लिए अपना विकल्प/अधिमान चिह्नित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) *vkond dks fofHkkUu foHkkxksa ds i nka gsrq , d gh vkonu i = i Lrqr djuk vfuok; lgA i nka dh I a[; k e; vko' ; drkuq kj deh ; k of) dh tk I drh gA*
- 3-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से होने चाहीये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अन्यथियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 3-3 *i jh{kk gky e;ys tkus gsrq vko' ; d I kexh %&*
- (i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश—पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन।
- (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र — मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य।

- (iv) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह—आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नहीं लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश—पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा, परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beeper), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

3-5 e/; i n's k ds LFkkbZ fuokl h vkonndks ds fy, vkl; q l hek %&

- (i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी—3—11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :—

स.क्रं.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग—शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
8.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	43 वर्ष
9.	म0प्र0 के भूतपूर्व सैनिक आवेदक (आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
10.	म0प्र0 के विकलांग आवेदक (समस्त वर्ग)	45 वर्ष

3-6 e/; i n's k ds LFkkbZ fuokl h vkonndks dks i kRi kgw Lo: i nh tkus okyh NIV %&

- (i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी—3—40—आ—84—(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

- (ii) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3-7 e/; i n's k ds LFkkbZ fuokl h vkonck dh vk; q l hek ds I cak e; vU; fooj .k %&

- (i) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- (ii) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k %& शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (iii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Li "Vhdj.k %& शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्त पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कर्मीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345—4005—सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

वि % (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग—पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

1/2% यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु—सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु—सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3-8 fyf[kr i j h{k e fu% kDr tu vH; ffk k ds fy, mi yC/k I fo/kk, i %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ—8—2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—

(i) ; g | fo/kk fuEufyf[kr vH; ffk; k dks i nku dhl tkoskh %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा।

(ii) ysku fyfi d dhl | fo/kk %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) ysku fyfi d dhl fu; fDr gsrq 'krn %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(iv) bl ds vfrfjDr ink; dhl tkus okyh | fo/kk, W %&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

3-9 **i d's k&i = i k\l r djus dh i f\O; k %&**
ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

uk\&/& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3-10 **i j h{k k i d's k&i = (Test Admit Card) :-**

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन—पत्रों के प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे।
- (ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो—भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iv) आवेदक यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसे मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को ‘रासा’ में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा।
- (v) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.11 **मूल्यांकन पद्धति :-**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3-12 **=fVi wkl it u] ml dk fujLrhdj.k ,oa cnys e\fn; k x; k vd %&**

परीक्षा उपरांत मण्डल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- (ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj . k 01 :— यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

mnkgj . k 02 :— यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

mnkgj . k 03 :— यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

uk\% सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

3.13 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.12 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी ।
- (iii) आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

3.14 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :—

- (i) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क ।
- (ii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना ।
- (iii) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना ।
- (iv) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना ।
- (v) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना ।
- (vi) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना ।
- (vii) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना ।
- (viii) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
- (ix) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
- (x) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
- (xi) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
- (xii) उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा ।
- (xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
- (xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य परस्तपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। परस्तपधारण का कृत्य

विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

- (xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
- (xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ३००एम०आर० उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ३००एम०आर० उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ३००एम०आर० उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू०एफ०एम० समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू०एफ०एम० मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xvii) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू०एफ०एम० मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

3-15 i j h{kk i f j . kke dk i dk' ku %&

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

3-16 i j h{kk i f j . kke %&

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3-17 e-i z ०; kol kf; d i j h{kk eMy dk dk; l i d's k@Hkrh@i k=rk i j h{kkvks dk | pkyu , oamI dk i f j . kke ?kkf"kr djuk ek= gksxk %&

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।

- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

3-18 $\text{U; kf; d } \{ks=kf/kdkj \% \&$ परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k. M&C]

- 3.19 $\text{vklykbLu vkonu\&i = ds I kfI I gy\chi u fd; s tkus okys nLrkost k\& dk fooj .k \% \&$
- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
 - (ii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
 - (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तालिपि में दो लाईने स्कैन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तालिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं, दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
 - (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
 - (vi) अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

3-20 $\text{vklykbLu vkonu i = ds I kfI QksVks , oagLrk\{kj I gy\chi u djus I cdkh fun\& k\&$

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

- (v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ vkonu Hkj us dh frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा Qk\kxkQ i j f\kpokus dh fnukd o vkond ds uke dk Li "V mYsfk gkuk pkfg; A
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3-21 , e-i h- vkluykbLu fd; kLd ds ek/; e I s vkomu Qkel Hkj us dh fof/k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जावेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही—सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन—पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

3-22 व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग के लिए आवेदन पत्र का उपयोग कैसे करें

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदन पत्र का उपयोग आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो उसका उपयोग आवेदन पत्र का उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता।
- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो उसका उपयोग आवेदन पत्र का उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता।
- (iv) आवेदन पत्र का उपयोग आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो उसका उपयोग आवेदन पत्र का उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता।
- (v) ऑनलाइन आवेदन—पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

3-23 व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र का उपयोग कैसे करें

- (i) ऑनलाइन आवेदन—पत्र एम.पी.आनलाइन की www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टर कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती—बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।

3-24 व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग के लिए आवेदन पत्र का उपयोग कैसे करें

व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग के लिए आवेदन पत्र का उपयोग कैसे करें

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** विलक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी **fun@Instructions** तथा परीक्षा fu; e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को विलक करें।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन—पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन—पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन—पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि की दो लाईनों की एक ईमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तालिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे रक्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए ईमेज को ऑनलाइन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाइन आवेदन—पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन—पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन—पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—

१/११ ØfMV@MfcV dkMz

१/११ bMjuV cfdx

3-25 ØfMV@MfcV dkMz ds ek/; e I s i j h{kk 'k/d dk Hkxrku%

- (i) आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराइज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3-26 bMjuV cfdx ds ek/; e I s i j h{kk 'k/d dk Hkxrku %

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।
- 3-27 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन—पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है ।
- 3-28 fu/kfj r ffffk e: tek fd, x, vkykbly vkonu i = e: | ikksku dh 0; oLFkk
- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:—
 - (ii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा ।
 - (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी ।
 - (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा ।
 - (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी ।
 - (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा ।
 - (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी ।
 - (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
 - (ix) ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3-29 , d | s vf/kd vkllyykbLu vkonu&i = Hkj us | t/kh funsk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई—मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्बन्ध पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन—पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

3-30 vkllyykbLu vkonu&i = dk fuj Lrhdj .k %&

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तालिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
 - (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- 3-31 ऑनलाईन आवेदन—पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 3.32 अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष अर्थात् 01 जनवरी 2015 के आधार पर की जावेगी।
- 3.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 3-34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17 / 2014 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3-35 c\$kh] | gkfj ; k , oa Hkkfj ; k tutkfr; k ds vH; fFk; k ds fy, vkonu cfØ; k % &

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796 / 982 / 2012 / आप्र / एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु fu/kfj r U; ure 'kfk. kd vgk को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु | cf/kr foHkkx को प्रेषित करें।
- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) व्यापम द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत व्यापम द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

3-36 vkonu i = Hkj us dh | e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
08.02.2015	27.02.2015	20	28.02.2015	02.03.2015	03

3-37 fyf[kr i jh{kk dk fooj.k

स.क्र.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	एक प्रश्न पत्र	05.04.2015 (रविवार)	रविवार	02 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 12:15 बजे तक	100
2.	द्वितीय प्रश्न पत्र	05.04.2015 (रविवार)	रविवार	02 घंटे	दोपहर 02:00 से 04:15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे।

परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

3-38 (i) i jh{kk 'kVd %&

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग/बैगा, सहारिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों के लिये
01-	nks	700/-	350/-	350/-	70@&	fujid

(ii) I d kk\ku fd; s tkus i j ns 'kVd

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01-	nks	100/-	50/-

3-39 i jh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :—

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	भोपाल	6.	शहडोल
2.	ग्वालियर	7.	उज्जैन
3.	इन्दौर	8.	मुरैना
4.	जबलपुर	9.	होशंगाबाद
5.	रीवा	10.	सागर

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

v/; k; & 04

i kB; Øe

ç'ui = & çFke & ç'ui = dk Lrj % gk; j I sds Mjh ½10\$2½

सामान्य तार्किक योग्यता

सामान्य ज्ञान

सामान्य हिन्दी

सामान्य अंग्रेजी

सामान्य गणित

सामान्य विज्ञान

सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान

dy vd & 100

ç'ui = & f}rh; &ç'ui = dk Lrj % Lukrd Lrj

वाणिज्य विषय का मण्डल स्तर

से अंतिम रूप प्रदान किया गया

पाठ्यक्रम

dy vd % 100

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

i t u&i fLrdk ds i t uks ds I cik es vH; konu

1/ukV& ; g i i = dgy i j h{kkFkhz }kj k gh Hkj dj fu/kkfj r I e; kof/k rd
 e. My dk; kly; es mi yC/k djkus i j fopkj {ks= es fy; k tk, xk 1/

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न—पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

I 000	i t u Øekd	=fV dk fooj.k	I k{; ds : i es i Lr ^r nLrkost dk fooj.k	I yXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक..... आवेदक का नाम.....

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

vkn' kZ mRrj k*o* ij vki fRr g*o* vH; konu

Yuk& ; g i i = doy ij h{kFkh }kj k gh Hkj dj fu/kkFj r I e; kof/k rd e. My
dk; kly; e*o* mi y*o*/k djkus ij fopkj {ks= e*o* fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :—

I -Ø-	mRrj Øekd	vkn' kZ d <i>o</i> th e <i>o</i> i nf' k <i>o</i> mRrj	vH; FkhZ ds vud kj mRrj	mRrj ds I eFku e <i>o</i> i Lr <i>o</i> nLrkost dk fooj .k	I ayXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक आवेदक का नाम.....

e/; i nsk ds vkfne tutkfr | enk; tJ %&cikk] | gkfj ; k , oa Hkkfj ; k tutkfr
ds vH; fFk; k gq vkonu i = dk i k: i

i jh{kk dk uke% सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समूह – 01 के अंतर्गत लेखापाल, उप-अंकेक्षक, कनिष्ठ अंकेक्षक, म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों की भर्ती परीक्षा–2015

1.	आवेदक का नाम	:-	आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ संलग्न करे
2.	पिता का नाम	:-	
3.	माता का नाम	:-	
4.	लिंग (पुरुष / महिला)	:-	
5.	जन्मतिथि	:-	
6.	आदिम जनजाति का नाम	:-	
7.	वर्ग (विकलांग / भूतपूर्व सैनिक)	:-	
8.	शैक्षणिक योग्यता का विवरण	:-	
9.	कार्यअनुभव का विवरण	:-	
10.	विशेष / अन्य विवरण	:-	
11.	आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:—	
11.	पदों का विभागों का विकल्प (नियम पुस्तिका के अध्याय–02 अनुसार):—		

I -Ø-	foHkkx dk uke	i nuke
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		


आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :—
दिनांक :—
निवास का पता :—
.....
मोबाइल / दूरभाष नं. :—

**सहारिया, भारिया एवं बैगा जनजाति के अभ्यर्थियों को ऑफलाईन आवेदन भरने हेतु
विभागों के पते का विवरण**

स.क्र.	विभाग का नाम
1.	महाप्रबंधक (प्रशासन) मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, ब्लॉक नं. 1, तृतीय तल, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
2.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भद्रभदा मछली प्रक्षेत्र, भद्रभदा रोड, भोपाल (म.प्र.) 462-003
3.	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी बिंग, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
4.	कार्यपालक निदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, 35 राजीव गांधी भवन, द्वितीय खण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
5.	संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन बोर्ड, 26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल (म.प्र.)

नोट:- कार्यपालिक श्रेणी के पद होने के कारण बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को
निम्न दो विभागों के लिये ऑफलाईन आवेदन पत्र नहीं भरना है:-

1. कार्यालय संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल (मध्यप्रदेश)
2. सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाए मध्यप्रदेश, भोपाल (मध्यप्रदेश)



M.P.PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, BHOPAL

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समूह – 01 के अंतर्गत लेखापाल,
उप—अंकेक्षक, कनिष्ठ अंकेक्षक, म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के पदों की भर्ती परीक्षा—2015

List of Activity

Activity No.	Activity	Duty Done by Section	Date of Accomplishment
01	Receipt of certified rules from the Department	Examination	24.01.2015
02	Editing of Rules		27.01.2015
03	Approval of Design of Rule Book		04.02.2015
04	Approval of Design of Application form	Computer	04.02.2015
05	Softcopy of Rules on Vyapam & MPONLINE website		06.02.2015
06	Approval of Draft of Advertisement	PRO	06.02.2015
07	Advertisement in News Papers		07.02.2015
08	Start of Online A/F	MP Online	08.02.2015
09	Letter to Co-ordinators for exam centres	Examination	11.02.2015
10	Appointment of Central Observers	Establishment	12.02.2015
11	Appointment of Observers	Examination	26.02.2015
12	End of Online submission of A/F	MP Online	27.02.2015
13	Summary of Applications city wise	Computer	28.02.2015
14	Start Of Rectification Of Online A/F by Applicant	MP Online	28.02.2015
15	Order for Printing of Question Booklets	Controller	02.03.2015
16	End Of Rectification Of Online A/F by Applicant	MP Online	02.03.2015
17	Scrutiny/ Checking	Computer	05.03.2015 to 11.03.2015
18	Processing of Data		13.03.2015
19	Finalized List of Centres to Computer Section	Examination	16.03.2015
20	Allotment of Roll Nos.	Computer	17.03.2015
21	Generation of TAC's		17.03.2015
22	Uploading of TAC's		17.03.2015
23	Order for Centre wise packing of Question Booklets		18.03.2015
24	Order for Packing of Confidential Material	Strong Room	18.03.2015
25	Letter to Collectors for Law & Order	Examination	19.03.2015
26	Notice in newspapers regarding TAC's uploading	PRO	19.03.2015
27	Printing of Reports RASA, Centre List , Centre Advance	Computer	19.03.2015
28	Printing of Register & Docket for packing of Confidential Material		20.03.2015
29	Letter for Police arrangement	Examination	20.03.2015
30	Important instructions for smooth conduction of exam	Controller	20.03.2015
31	Preparation of Bank Drafts/Rtgs on the basis of Centre Advance	Account	25.03.2015
32	Dispatch of Non-Confidential Material	Examination	27.03.2015
33	Finalization of Route chart	Transportation	27.03.2015
34	Receipt of Confidential Material	Strong Room	30.03.2015
35	Packing of Confidential Material		31.03.2015 & 01.04.2015
36	Briefing of Observers	Examination	02.04.2015
37	Checking of Confidential Material by Observers	Strong Room	02.04.2015
38	Dispatch of Confidential Material		03.04.2015 & 04.04.2015
39	Examination Day	All	05.04.2015
40	Uploading of Model Answers Key	Computer	06.04.2015
41	Last date for Representation on Model Answers Key and Question Paper	Controller	13.04.2015
42	Meeting of Key Committee		20.04.2015
43	Uploading of Final Answers Key and Declaration of Result	Computer	30.04.2015

Prof. Sanjay Kumar Jain
Joint Controller (Exam)

Dr. Alok Chobey
Controller

सहमति प्रमाण—पत्र

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 468 भोपाल, दिनांक 04/10/2013 के अनुसार समूह-01 के अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा 2015 के आयोजन के लिए नियम पुस्तिका तैयार की गई है। नियम पुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियमों एवं अध्यायों में उल्लेखित जानकारियों से तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के समूह-01 में दी गई शैक्षणिक योग्यता को ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्य करते हुए विभाग के द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

नियम पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए विभाग स्वयं जवाबदेह होगा। तैयार नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

सं. क्र.	विभाग का नाम	नोडल अधिकारी/सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम	नोडल अधिकारी/सत्यापनकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील	मोबाइल नंबर/दूरभाष नंबर
1.	मध्यप्रदेश स्टेट सिविल स्प्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म0प्र0)			
2.	संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल			
3.	मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल म0प्र0			
4.	सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल			

सं. क्र.	विभाग का नाम	नोडल अधिकारी/सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम	नोडल अधिकारी/सत्यापनकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील	मोबाइल नंबर/दूरभाष नंबर
5.	राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल			
6.	मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, भोपाल			
7.	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल			